न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

चिरैया थाना कांड संख्या– 145 ⁄ 20

21.08.2020

काराधीन अभियुक्त रामायण साह की ओर से दाखिल दिनांक 20.08.2020 के जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय शंकर का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए हैं। इनका यह भी कथन है कि उनके द्वारा अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1308 ⁄ 2020 दिनांक 19.08.2020 को वापस ले लिया गया उसके बाद किसी भी सक्षम न्यायालय में अभियुक्त द्वारा न तो नियमित जमानत आवेदन और ना ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। इनका यह भी कहना है कि इस कांड के सूचक अभियुक्त के ससुर है अभियुक्त निर्दोष है इनके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है इन्हें गलत तरीके से एवं द्वेषपूर्ण भावना से इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी में लगाए गए आरोप मनगढन्त एवं बेबुनियाद है तथा अभियुक्त दिनांक 15.07.20 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्ष को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 304 (बी) 201, 34 भा.दं.वि. के तहत पंजीकृत हुयी है, जिसमें धारा 304(बी) अजमानतीय एवं संगीन अपराध है। वाद अनुसंधान में चल रहा है। अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है तथा दिनांक 15.07.20 से कारा में है। धारा 304(बी) भा.दं.वि. अन्ततः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त रामायण साह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 21.08.2020